

आयुक्त,  
मुरादाबाद मण्डल,  
गुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रोत्त विहार,  
नई दिल्ली।

पंख्या ४२८ /27-59 (2008-09) जे०५०

दिनांक : ०१ जनवरी, 2015  
विषय :- यूनिवर्सिट एकेडमी विजनीर को सी०१०४०४०५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु क्नापति प्रमाण पत्र दिया जाना।  
प्राप्तियाँ

उपर्युक्त प्रधान का गत जापका द., आशृृत कहे हुये जनगत इन्होंने नि० यूनिवर्सिट एकेडमी विजनीर को सी०१०४०४०५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन लापति नहीं है :-

- 1- शिक्षा दा अधिकार अधिनियम 2009 का अनुपालन इन्होंना आवश्यक होगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा निर्मित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतीक्षात स्थान निर्मित जाति/जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उपर्युक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- राज्य द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की नींग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता संस्कृत छोड़ आफ सेकेण्ड्री एयूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- तंत्रिका के शहिक एवं शिक्षान्तर कर्मचारियों को अल्कोहॉल सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमति प्राप्तनगानों तथा लम्ब गतिं से उपर्युक्त नाम तथा अन्य मत्तों नहीं पड़ जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की कांडा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त करासकौथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमति द्वारा लाभ उपलब्ध कराये जायेंगी।
- 7- राज्य उत्तर प्रदेश-तमस्य पर जो भी जारी निर्णय दिये जायेंगे संस्था उनका प्रत्यक्ष करेगी।
- 8- विद्यालय का नाम : निर्मित ५५८ वर्षों का नाम।
- 9- राज्य सरकार एवं सी०१०४०४०५०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थायान सुविधाओं की उपलब्धता, संबद्धता से पूर्ण स्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापति प्रस्ताव द्वारा साथ प्रस्तुत भू-अमिलेखों में उल्लिखित ग्राम गढ़वाला परगना विजनीर दाहतील विजनीर गिला विजनीर में स्थित भूमि खाता संख्या ००१०८ गांठा संख्या ७० हो ०.५११ है, तथा खाता संख्या ०००६६ गांठा संख्या ७३ क्षेत्रफल ०.५२५ है (कुल १.०३६ हेक्टर) (पंजीकृत लीज ढोड दिनांक १४-१२-२०११ के अनुसार) एवं खाता संख्या ०००५४ गांठा संख्या ७२ क्षेत्रफल ०.५१३ है, (पंजीकृत लीज ढोड दिनांक २२-०८-२०१४ के अनुसार) (कुल १.५४९ हेक्टर) भूमि में निर्मित भवन द भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु उन्हें तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह जनापति स्वतः समाप्त नहीं होगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के धूप-गूमोदन के बिना कोइ परिकारन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना सत्ता के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र बापत्त ले लिया जायेगा।

भवदीप

(ट्रॉल ज्ञ)

ट्रॉल

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभुत्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, आगरा भारतीय विद्यालय उपर्युक्त, लखनऊ।
- 4- जिजायिकारी विजनीर।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वारा द्वारा मण्डल, मुरादाबाद।